स०स०–2 / आर–9 / 2026–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : **डा० सुदर्शन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर का दिनांक–28.08.2023 से 01.04.2024 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1538(2), दिनांक–18.11.2021 द्वारा डा० सुदर्शन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग)के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर में नियुक्ति–सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन में डा० सुदर्शन द्वारा दिनांक–15.12.2021 को योगदान कर प्रभार ग्रहण किया गया। सिविल सर्जन, भागलपुर के ज्ञापांक–3824 दिनांक–15 12 2021 द्वारा शेष टेन्योर अवधि पुरा करने हेतु जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के लिए विरमित किया गया । टेन्योर समाप्ति के उपरान्त प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पत्रांक–2444 दिनांक–26.08.2023 के आलोक में डा० सुदर्शन द्वारा दिनांक–28 08.2023 को स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया गया है। डा० सुदर्शन दिनाक–28.08.2023 से 15.03 2024 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहें। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०–356(2), दिनांक–15.03.2024 के द्वारा डा० सुदर्शन को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरगंज, किशनगज में पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचित संस्थान में डा० सुदर्शन के द्वारा दिनांक–02.04.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया।

वर्णित स्थिति में डा० सुदर्शन के दिनांक–28.08.2023 से 01.04.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है:–

i.	दिनांक–28.08.2023 से 29 02 2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक–01.03.2024 से 01.04.2024 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha

ज्ञापांक–2 / आर–9 / 2026– 851(2) पटना, दिनांक 22 / 04 / 2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक–सहै–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर / डा० सुदर्शन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर / प्रशाखा--3, 9 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman K 22/4/26
सरकार के उप सचिव।